

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।**

**संकल्प**

**विषय:-** महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट पटना में गठित संस्थान प्रबंधन समिति (आई०एम०सी०) का पुनर्गठन ।

भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी०जी०ई०टी० के पत्र संख्या 35(4)(2)/2004-पी०सी०टी०/सी०पी०आई० यू० दिनांक 11.02.2005 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट पटना के संकल्प संख्या 278 दिनांक 02.03.2009 द्वारा संस्थान प्रबंधन समिति का गठन किया गया था ।

दिनांक 13.07.2016 को राज्य स्टेयरिंग कमिटी की सम्पन्न बैठक में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट पटना के लिए इंडस्ट्रीज पार्टनर के रूप में एस्ट्रीक कम्प्यूटर्स प्रा० लिमिटेड, पटना का चयन किया गया है । तदालोक में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट पटना का जन-निजी-भागीदारी (पी०पी०पी०) के अन्तर्गत संस्थान का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु संस्थान प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाता है ।


**महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट पटना**

1. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, निदेशक, एस्ट्रीक कम्प्यूटर्स (इंडिया) प्रा० लिमिटेड, 402 समृद्धि कम्पलेक्स, एस०पी०वर्मा रोड, पटना-1	अध्यक्ष
2. श्री मृणाल सिंह, निदेशक, यू०एन०ओ०डिजिटल इनफॉरमेशन प्रा०लि०, बिहाई०पी०ए०ए० एम०म०ल, पाटलीपुत्रा इन्डस्ट्रीज एसिया, पटना-13	सदस्य
3. श्रीमती अनामिका आनन्द, निदेशक, आकृति विलिङ्कॉन प्रा०लि० – जी०डी० मिश्रा पथ पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना-13	सदस्य
4. श्रीमती वीनू जयचन्द, सी०ई०ओ० नवकार सेन्टर फॉर स्किल्स प्रतीक्षा भवन खाजपुरा, बेली राड, पटना-14	सदस्य
5. श्री एस०पी०सिन्हा, चेयरमैन बिहार होटल्स लि० होटल्स मौर्य, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना-1	सदस्य
6. राज्य निदेशक के प्रतिनिधि (जो व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्य से संबंधित हो) निदेशक द्वारा नामित	सदस्य
7. प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना –	संयोजक
8. संस्थान के वरीयतम तकनीकी कर्मचारी	सदस्य
9. संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिनिधि प्राचार्य द्वारा नामित-	सदस्य
10. जिला नियोजन पदाधिकारी, बिहार, पटना –	सदस्य
11. प्राचार्य, राजकीय पोलिटेनिक, पाटलीपुत्रा, पटना	सदस्य

2. समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा अथवा तब तक के लिए जब तक कि इसे पुनर्गठित न किया जाए ।  
सरकार बिना कारण बताए समिति को कभी भी विघटित कर सकती है ।
3. समिति की बैठक में कम से कम कम छः सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं संयोजक की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधरण को सूचनार्थ सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया जाय और सभी संबंधित सदस्यों को इसकी एक प्रति दी जाय ।

बिहार के राज्यपाल के अदेश से,



सरकार के अपर सचिव  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः— टी02/नामा(IMC)-01/2015—

पटना, दिनांक ..... /2017

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को एक सी0डी0 दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अंक की दो सौ अतिरिक्त प्रतियॉ अद्योहस्ताक्षरी का उपलब्ध करायें।

ह0/-  
सरकार के अपर सचिव  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— टी02/नामा(IMC)-01/2015—

पटना, दिनांक ..... /2017

प्रतिलिपि:— महाप्रबंधक निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-  
सरकार के अपर सचिव  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— टी02/नामा(IMC)-01/2015—

२७.१९

पटना, दिनांक २७.११. /2017

प्रतिलिपि:— निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना /सभी उप निदेशक प्रशिक्षण /क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/ प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट पटना / संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्य /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।